- 1 -

112

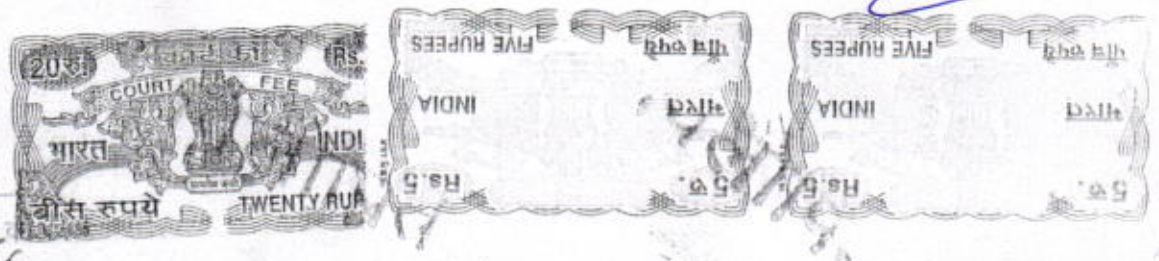

1.

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश,ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक.................. जिला टीकमगढ़

रवीन्द्र मोहन नामदेव
आत्मज श्रीराम गोपाल नामदेव
218 मैन रोड ओरछा, तहसील–ओरछा
जिला टीकमगढ़(म0प्र0) ....आवेदक

विरुद्ध

1– रामचरन लोधी
पुत्र स्व0भुजबल लोधी
ग्राम ओरछा तहसील ओरछा
जिला टीकमगढ.(म0प्र0)
2– मध्यप्रदेश शासन ....अनावेदकगण/प्रत्यर्थीगण

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 904/II/2016 जिला टीकमगढ़ निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15.03.2016 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता 1959 की धारा 51 एवं सिविल प्रकिया संहिता 1908 की धारा 114 सहपठित आदेश 47 नियम–1

सम्माननीय मान्यवर,

माननीय न्यायालय के उक्त प्रकरण के पारित आदेश दिनांक 15.03.2016 (Annexure-P/1) से दुखित होकर यह पुनर्विलोकन आवेदन पत्र निम्न तथ्यों व आधारो पर आवेदक मान्यवर की सेवा में आदर सहित निम्नांकित निवेदन करता है:–

1.0 **तथ्य**

1.1 यहकि प्रत्यर्थी क्र01 को ग्राम ओरछा के खसरा क0 249/6 रकबा 2.033 हैक्टे0 का बंटन का अस्थायी पट्टा वर्ष 1972–73 से वर्ष 1976–77 तक की अवधि के लिए हुआ था। अवधि समाप्त होने के बाद भी वह खातेदार बना रहा फिर 20 वर्ष बाद भूमि पथरीली कंकरीली होने के कारण कई गुना बहुमूल्य ओरछा झॉसी वाईपास रोड के किनारे लगी अतिकमण वाली दखल रहित पठार भूमि खसरा कमांक 557/1/2 रकबा 4.492है0 के अंश भाग 1.214 हैक्टे0 से मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिनांक 26.07.1993 अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी को

rXxxix(a)-BR(h)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ---------

पुनरावलोकन प्रकरण कमांक 14-67/2016 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ता
6-12-16	यह पुनरावलोकन आवेदन सदस्य म0प्र0राजस्व मण्डल, ग्वालियर व्दार प्रकरण कमांक 904-दो/2016 में पारित आदेश दि0 15-3-2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत हुआ है। 2/ पुनरावलोकन आवेदन में वर्णित तथ्यों पर आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0 श्रीवास्तव के तर्क सुने । अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित है। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने तथा म0 प्र0 राजस्व मण्डल, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 904-दो/2016 में पारित आदेश दिनॉक 15-3-2016 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि आवेदक ने जिन आधारों पर आदेश दिनॉक 15-3-2016 का पुनरावलोकन चाहा है, आवेदक व्दारा बताये गए आधार संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में किसी भी आदेश का पुनरावलोकन निम्न आधारों पर किया जा सकता है :- 1. प्रत्यक्ष दर्शी भूल अथवा नियमों की त्रृटि, 2. किसी ऐसे अभिलेख की प्राप्ति तथा प्रस्तुतीकरण, जो उस समय प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जब कि आदेश पारित किया गया एंव वाद में शोध पर प्राप्त हुआ,	

3. अन्य पर्याप्त हेतुक ।

आवेदक के अभिभाषक उक्त आधारों के कम में समाधान नहीं करा सके हैं कि आदेश दिनांक 15-3-2016 का पुनरावलोकन किन सशक्तआधारों पर किया जाय है, जबकि आदेश दिनांक 15-3-2016 प्रकरण में आये तथ्यों अनुसार Speaking order है । फलस्वरूप आदेश दिनांक 15-3-2016 पुनरावलोकन योग्य न पाये जाने से फेर-बदल की गुंजायश नहीं है। अतएव पुनरावलोकन आवेदन अमान्य किया जाता है।

सदस्य